

**न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर**  
**पीठासीन अधिकारी-संजय शर्मा**

अपील संख्या 95/2024

तारीख रजू 02.12.2024

हेमराज पुत्र मोती कीर निवासी क्यारदा खुर्द, तहसील खण्डार ।

--- अपीलार्थी

**बनाम**

सरकार जरिये तहसीलदार खण्डार ।

--- रेस्पोजेन्ट

उपस्थिति -

श्री महावीर जाट एडवोकेट

- अपीलार्थी

पेरोकार राजस्व

- रेस्पोजेन्ट


**निर्णय**

दिनांक 19.06.2025

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान, भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार खण्डार द्वारा मिसल संख्या 81/2021 में पारित आदेश दिनांक 22.02.2021 के विरुद्ध प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम क्यारदा खुर्द के आराजी खसरा नम्बर 520 रकबा 2.00 बीघा किस्म चरागाह पर संवत् 2077 में जिन्स सरसो कर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने का कर्ता मानकर अतिक्रमणित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए तीन माह (90) दिवस के सिविल साधारण कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोजेन्ट की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पोजेन्ट की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का फैसला विधि के विरुद्ध एवं पत्रावली के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने ख0नं0 520 रकबा 2.00 बीघा किस्म चरागाह पर सरसो जिन्स वाके ग्राम क्यारदा पर अतिक्रमण कर रखा है, जिसके बारे में किसी प्रकार की जानकारी हासिल नहीं की गई ना मौका देखा गया है हल्का पटवारी की झूठी शिकायत को सत्य मानकर गलत निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्त ने हल्का पटवारी को मौके पर ले जाकर अपना कब्जा नहीं होने बाबत भी कहा गया था लेकिन हल्का पटवारी ने गलत ढंग से नोटिस जारी कराये गये जबकि ग्राम पंचायत व गांव के किसी व्यक्ति ने आज तक अतिक्रमण होने या करने की शिकायत भी नहं की गई है ना प्रार्थी अपीलान्त अतिक्रमण करने प्रयासरत है ना करता है तो अधीनस्थ न्यायालय का फैसला निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय फैसला करने से पूर्व अपना पक्ष रखने व पूर्ण सुनवायी का अधिकार नहीं देने तथा मौके की भौतिक सत्यापन नहीं कर ने से अधीनस्थ न्यायालय का फैसला खारिज किये जाने योग्य है। अन्त में वकील अपीलान्त द्वारा अपील रवीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.02.2021 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

  
**अति. जिला कलेक्टर**  
**सवाई माधोपुर**




वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस में कथन किया कि अपीलार्थी को विधिवत नोटिस जारी करने के पश्चात ही अपीलार्थी को सुनवाई सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने व पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित हो जाने के पश्चात ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जाकर अदालत मातहत का निर्णय यथावत रखा जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की पत्रावली का अवलोकन करने से यह प्रतीत होता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अपीलार्थी को धारा 91 का नोटिस जारी किया गया है जिस पर अपीलान्त स्वयं की तामील हुई है। बाद तामील अपीलान्त नियत दिनांक को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए। अतः अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का समुचित अवसर दिया गया है। जहां तक अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है इसकी पुष्टि भी पत्रावली पर उपलब्ध विधिक साक्ष्य यथा पटवार हल्का के लिये गये बयानों के आधार पर हो जाती है। चूंकि अपीलान्त द्वारा अतिक्रमित की गयी भूमि के संबंध में अपने पक्ष में इस प्रकार का कोई सुदृढ अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है, जिसके आधार पर विवादित भूमि पर अपीलान्त का पूर्ववर्ती अतिक्रमण साबित नहीं होता हो और ना ही अपीलान्त ने विवादित भूमि पर से अतिक्रमण हटा लेने एवं भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने के आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अदालत मातहत द्वारा पारित किये गये निर्णय में किसी प्रकार की अनियमितता नजर नहीं आती है तथा अपील अपीलान्त खारिज योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त खारिज की जाकर अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 22.02.2021 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19.06.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(संजय शर्मा)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,  
सवाईमाधोपुर